राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 324 एवं 325/2017.....जिला.....जयपुर.....

मैसर्स पिंकसिटी एक्सप्रेस प्रा0लि0, जयपुर बनाम् वाणिज्यिक सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, संभाग–तृतीय, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाग जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/02/2017	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री के.एल.जैन, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री वी.सी.सोगानी व संदीप सोगानी एवं विभाग की ओर से श्री आर.के.अजमेरा, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। यें दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.02.2017 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25, 26, 55 व 61 के तहत् कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 02.01.2017 द्वारा कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार विवादित मांग राशियों में से शेष बकाया राशि रूपयों की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया गया, जिसके विरूद्ध यह दोनों अपीलें अधिनियम की धारा 38(4) सहपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है। दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जा रही है।	

अपील सं.	अवधि	कुल मांग राशि	अपीलीय अधि. द्वारा स्थगित शास्ति राशि	राशि जिस हेतु स्थगन चाहा गया
1	2	3	4	5
324/17	15–16	5,21,88,954	3,36,70,596	1,85,18,358
325/17	16–17	1,10,54,131	74,18,916	36,35,215

विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलार्थी व्यवहारी को दिल्ली–जयपुर/गुडगांव–जयपुर नेशनल हाईवे नं. 8 का सिक्स लेन सडक निर्माण का कार्य DBFOT (डिजायन, बिल्ट, फाईनेंस, ऑपरेट, ट्रांसफर) के आधार पर नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया (NHAI) द्वारा आवंटित किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त संविदा कार्य में **"प्री–फेब्रिकेटेड"** मेटेरियल कास्टिंग (PFC) का विनिर्माण कर उक्त ठेकेदारों को हाईवे निर्माण हेतु बिना किसी प्रतिफल के अनुबंध के अनुसार दिया जाता है। उक्त संविदा कार्य हेतु प्रदत्त PFC को डीम्ड सेल मानकर कर, शास्ति व ब्याज का आरोपण किया गया जो विधिसम्मत नहीं है। अपने तर्को के समर्थन में उन्होंने इसी फर्म के पक्ष में पारित राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय अपील संख्या 1359/2011/जयपुर निर्णय दिनांक 12.07.2011 एवं 1773/2012/जयपुर निर्णय दिनांक 26.09.2012, 256/2013/जयपुर निर्णय दिनांक 20.02.2013 आदि प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि इन दोनों प्रकरणों में सुविधा संतुलन प्रथम दृष्टया अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट कर, बकाया मांग राशियों (उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 5 के अनुसार) पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी अन्यथा अपीलार्थी व्यवहारी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क दिया गया।

लगातार.....2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/02/2017	विभागीय प्रतिनिधि द्वारा निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक आवेदन पत्र को अस्वीकार करने का कथन किया। इस संबंध में अग्रिम तर्क दिया कि **"टोल टैक्स"** के जरिये **प्रतिफल** अपीलार्थी व्यवहारी को प्राप्त हो रहा है। अतः रोक आवेदन पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया गया। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन के पश्चात, यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस प्रकरण में विक्रय, प्रतिफल एवं माल सम्पत्ति के वस्तुओं अथवा अन्य रूप में आलौच्य अवधि में अवार्डर से अन्तरित होने अथवा नहीं होने तथा आगत कर मुजरे के सारभूत विधिक प्रश्न अन्तर्वलित होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अपीलार्थी के अन्य प्रकरणों में विभिन्न वर्षों में सृजित मांग की रोक के सम्बन्ध में अलग–अलग खण्डपीठों द्वारा पूर्व में भी स्थगन दिया गया है। अतः उक्त स्थगन आदेशों से विचलन का कोई कारण नहीं होने से अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध बकाया विवादित मांग राशियों की वसूली की कार्यवाही पर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप जमानत 15 दिवस में प्रस्तुत करने की शर्त पर रोक लगाई जाती है। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें 7. दोनों अपीलों का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। 8. आदेश प्रसारित किया गया। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर 23.2.2017 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	